सिद्धार्थनगर पुलिस

प्रेस नोट दिनांक 01-09-2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में चलाये जा रहे परिवार परामर्श केंद्र /नई-किरण (टूटते परिवार को जोड़ने की एक पहल कार्यक्रम) के तहत 07 जोड़ों के मध्य सुलह समझौता कराकर उनके टूटते परिवारों को बिखरने से बचाया गया।

डॉ0 अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर के कुशल नेतृत्व में, अपर पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार प्रसाद के कुशल निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी महोदय विश्वजीत सौरयान के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 01.09.2025 को महिला थाना पर परिवार परामर्श केंद्र/नई किरण (टूटते परिवार को जोड़ने की एक पहल कार्यक्रम) का आयोजन किया गया। इस आयोजन में 10 पत्रावली विचारार्थ प्रस्तुत हुई। जिसमें परामर्श के बाद 07 पत्रावली का सफल निस्तारण कर, 07 परिवारों को बिखरने से बचाया गया व 03 पत्रावली में वार्ता प्रचलित है। 07 परिवार को बिखरने से बचाने में प्रभारी निरीक्षक भाग्यवती पाण्डेय, काउंसलिंग टीम में उ0नि0 रामनारायण शुक्ला, म0हे0का0 सत्या त्रिपाठी, महिला आरक्षी नेहा सिंह, महिला आरक्षी संगीता गौतम, महिला आरक्षी प्रियंबदा सिंह, महिला आरक्षी शिवानी सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

निस्तारित पत्रावली का विवरण-

1.मीना पत्नी विजय कुमार निवासी मेठवा थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर।

2.विन्धयवासिनी पत्नी दीपक अली निवासी डोमानरा थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर।

3.किरन पत्नी विनय निवासी दलदला थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर।

4.शबाना पत्नी अमरेज निवासी परसा थाना व जनपद सिद्धार्थनगर।

5.रोशनी पत्नी उदयराज निवासी मधवापुर थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर।

6.सरीफुन पत्नी जुबेर निवासी लमतिहवा थाना व जनपद सिद्धार्थनगर।

7.संदीप पत्नी रिंका निवासी गुलराजपुर थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट दिनांक 01-09-2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डॉ0 अभिषेक महाजन ने जनता दर्शन में आये फरियादियों की समस्याएं/शिकायतों को सुना।

आज दिनांक 01.09.2025 को पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डॉ0 अभिषेक महाजन द्वारा पुलिस कार्यालय मे जनसुनवाई किया गया। जनसुनवाई मे कुल 25 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये जिसमे 02 भूमि विवाद व 03 मारपीट तथा शेष 20 अन्य विवाद से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र थें। प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों का शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने हेतु संबंधित को आदेशित किया गया।

प्रेस-नोट दिनांक 01.09.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆सिद्धार्थनगर एण्टी रोमियो स्क्वाड पुलिस टीम द्वारा मिशन शक्ति के अन्तर्गत जनपद के स्कूल-कॉलेज व भीड़-भाड़ आदि स्थानों पर मनचलों एवं शोहदों की चेकिंग की गयी।

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में मनचलों एवं रोमियो के विरूद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 01.09.2025 को प्रभारी एण्टी रोमियो स्कवाड टीम /शक्ति मोबाइल द्वारा मिशन शक्ति के अन्तर्गत एण्टी रोमियो कार्यवाही के तहत थाना क्षेत्र उसका बाजार मे हरिदास इण्टर कालेज, रेलवे स्टेशन उसका बाजार, महुआ, चौक व स्कूल-कॉलेज/कोचिंग सेन्टर के पास तथा थाना क्षेत्र के आस-पास के मुख्य सड़को, चौराहों पर चेकिंग की गयी तथा महिला दुकानदारों से नियमित आए दिन चौराहों बाजारों आदि में अनावश्यक घूमने वाले शोहदों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की गई, चेकिंग के दौरान कोई अप्रिय बात नहीं रही।

एण्टी रोमियों टीम का विवरण-

01-म0उ0नि0 शाइस्ता प्रभारी एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर।

02.महिला मुख्य आरक्षी सुनीता एण्टी रोमियो स्क्वायड।

03.आरक्षी श्रीप्रकाश एंटी रोमियो स्क्वायड।

04.महिला आरक्षी मंजू एंटी रोमियो स्क्वायड।

05.महिला मुख्य आरक्षी कंचन एंटी रोमियो स्क्वायड।

प्रेस नोट दिनांक 01.09.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆"आपरेशन कन्विक्शन" के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना इटवा पुलिस की प्रभावी पैरवी से चोरी करने के आरोपी अभियुक्त को 01 वर्ष 03 माह का साधारण कारावास व ₹ 500/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे "आपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में डॉ0 अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में आज दिनांक 01-09-2025 को वाद संख्या 9949/2024 मु0अ0सं0 73/2024 धारा- 379 भादवि0 में पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश श्री शिवेन्द्र शर्मा न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/जेएम कक्ष सं0 2 जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अभियुक्त शिवशंकर विश्वकर्मा पुत्र रामतीरथ निवासी बेदौलागढ़ चौराहा थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर को 01 वर्ष 03 माह का साधारण कारावास व ₹ 500/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अभियोजन अधिकारी अजय गौतम तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी अनूप कुमार थाना इटवा का सराहनीय योगदान रहा।

प्रेस नोट दिनांक 01.09.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆"आपरेशन कन्विक्शन" के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना इटवा पुलिस की प्रभावी पैरवी से चोरी करने के आरोपी अभियुक्त को 01 वर्ष 03 माह का साधारण कारावास व ₹ 500/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे "आपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में डॉ0 अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में आज दिनांक 01-09-2025 को वाद संख्या 9387/2024 मु0अ0सं0 23/2024 धारा- 379 भादवि0 में पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश श्री शिवेन्द्र शर्मा न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/जेएम कक्ष सं0 2 जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अभियुक्त शिवशंकर विश्वकर्मा पुत्र रामतीरथ निवासी बेदौलागढ़ चौराहा थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर को 01 वर्ष 03 माह का साधारण कारावास व ₹ 500/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अभियोजन अधिकारी अजय गौतम तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी अनूप कुमार थाना इटवा का सराहनीय योगदान रहा।

प्रेस नोट दिनांक 01.09.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆यातायात पुलिस द्वारा दो पहिया पर तीन सवारी/बिना हेलमेट वाहन चलाना, गलत दिशा मे वाहन चलाना,सड़को के किनारे अवैध अतिक्रमण हटवाने आदि के विरुद्ध कार्यवाही की गयी।

आज दिनांक 01.09.2025 को पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर डा० अभिषेक महाजन के आदेश के अनुपालन के क्रम मे,अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर श्री प्रशांत कुमार प्रसाद के निर्देशन मे, क्षेत्राधिकारी यातायात श्री सुजीत कुमार राय के कुशल पर्यवेक्षण मे प्रभारी यातायात अमरेश कुमार मय टीम द्वारा साड़ी तिराहा,पावर हॉउस तिराहा,सिद्धार्थ तिराहा,पेट्रोल पम्प तिराहा एवं कस्बा बाँसी आदि स्थानों पर पी० ए० सिस्टम से आम जनमानस को जागरूक किया गया तथा शासन के मंशा के अनुरूप बाँसी-नौगढ़ स्थित पेट्रोल पम्पो पर जाकर बिना हेलमेट फ्यूल न देने के साथ आवश्यक कार्यवाही की गयी एवं रात्रि मे दुर्घटना से बचाव हेतु वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाने के साथ-साथ सड़को के किनारे अवैध रूप से खड़े बड़े वाहनों को जिनसे दुर्घटना की प्रबल संभावना/जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही थी उनका M. V. Act के तहत चालान कर हटवाया गया एवं दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी/बिना हेलमेट वाहन चलाने तथा चार वाहनों मे सीटबेल्ट का प्रयोग न करना,गलत दिशा मे वाहन चलाने वालो का चालान करने समेत कुल 57 वाहनों का चालान करते हुए 75,500/- रूपये शमन शुल्क की कार्यवाही करते हुए प्रत्येक दशा मे यातायात नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित किया गया, जिससे होने वाली सड़क दुर्घटनाओ की संख्या मे भारी कमी लायी जा सके।

प्रेस नोट- दिनांक 01-09-2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆जनपदीय पुलिस द्वारा जनपद में त्यौहार वारावफात तथा विश्वकर्मा पूजा के दृष्टिगत व शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपने-अपने सर्किल/थाना क्षेत्रो में पड़ने वाले चिन्हित हाट स्पॉट व उसके आस-पास के क्षेत्रों में पैदल गश्त/चेकिंग किया गया।

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में आज दिनांक 01.09.2025 को जनपद के क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/ थानाध्यक्ष द्वारा त्यौहार वारावफात, अनन्त चतुर्दशी तथा विश्वकर्मा पूजा के दृष्टिगत व शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपने-अपने सर्किल/थाना क्षेत्रो में पड़ने वाले चिन्हित हाट स्पॉट व उसके आस-पास के क्षेत्रों में पड़ने वाले भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गश्त/चेकिंग किया गया। आमजनमानस में सुरक्षा का एहसास कराते हुये जनसंवाद स्थापित किया गया।